भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2716

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

कर्नाटक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

2716. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक में, कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त राज्य में आईटी और हरित प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए नए कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो इसका जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौशल विकास पहलों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिनांक 31.12.2024 तक प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) चूंकि पीएमकेवीवाई मांग आधारित है, इसलिए देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को जरूरत के आधार पर सूचीबद्ध/संलग्न किया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 ने उभरती हुई प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0, जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, पर्यावरण स्थिरता, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन प्रौद्योगिकी

आदि से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने आईटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 540 भावी जॉब रोलों को मंजूरी दी है।

कर्नाटक राज्य में ड्रोन विनिर्माण और असेंबली तकनीशियन, आईओटी हार्डवेयर विश्लेषक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3 डी प्रिंटिंग), एआई - मशीन लर्निंग इंजीनियर, आदि जैसी 27 भावी जॉब रोलों में प्रशिक्षण दिया गया है। दिनांक 31.12.2024 तक, कर्नाटक राज्य में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत भावी जॉब रोलों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की जिले-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(ग) कौशल विकास कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई के तहत उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता से जुड़ी कौशल पहल और स्थानीय उद्योगों के साथ भागीदारी को प्राथमिकता दी है। पीएमकेवीवाई कक्षा में सीखने और कार्यस्थल की आवश्यकताओं के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। उद्योग विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो वर्तमान बाजार-मांगों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है। उद्योगों को कुशल उम्मीदवारों के साथ सीधे जोड़ने के लिए रोजगार मेले, कैरियर परामर्श सत्र आदि आयोजित किए जाते हैं।

(घ) सरकार उन विभिन्न लक्षित समूहों के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व को समझती है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपना अतिसूक्ष्म और सूक्ष्म उद्यम शुरू करना चाहते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपना नैनो और सूक्ष्म उद्यम शुरू करना चाहते हैं।

वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए पीएमकेवीवाई योजना के पहले तीन संस्करणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन/स्व-रोजगार को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत जो वर्तमान में वित्त-वर्ष 2022-23 से कार्यान्वयन के अधीन है, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें कैरियर विकल्प बनाने के लिए योजना के तहत अच्छी तरह से उन्मुख किया गया है। इसके अलावा, संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सकते हैं।

अनुबंध I

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अर्थात वर्ष 2015 से दिनांक 31.12.2024 तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित उम्मीदवार
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,431
2.	आंध्र प्रदेश	5,21,022
3.	अरुणाचल प्रदेश	97,213
4.	असम	8,28,706
5.	बिहार	7,41,278
6.	चंडीगढ़	27,818
7.	छत्तीसगढ	2,02,882
8.	दिल्ली	5,22,475
9.	गोवा	10,484
10.	गुजरात	4,69,062
11.	हरियाणा	7,44,162
12.	हिमाचल प्रदेश	1,70,501
13.	जम्मू और कश्मीर	4,17,062
14.	झारखंड	3,10,072
15.	कर्नाटक	**5,74,184**
16.	केरल	2,72,144
17.	लद्दाख	4,062
18.	लक्षद्वीप	390
19.	मध्य प्रदेश	11,73,959
20.	महाराष्ट्र	13,15,883
21.	मणिपुर	1,09,330
22.	मेघालय	57,483
23.	मिजोरम	41,718
24.	नागालैंड	52,101
25.	ओडिशा	5,98,174
26.	पुदुचेरी	34,164
27.	पंजाब	5,45,446
28.	राजस्थान	13,70,379
29.	सिक्किम	19,462
30.	तमिलनाडु	8,68,443
31.	तेलंगाना	4,55,705
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,842
33.	त्रिपुरा	1,57,394
34.	उत्तर प्रदेश	24,13,050
35.	उत्तराखंड	2,47,404
36.	पश्चिम बंगाल	6,42,196
योग		**1,60,33,081**

अनुबंध II

कर्नाटक राज्य में दिनांक 31.12.2024 तक पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत भावी जॉब रोलों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की जिला-वार संख्या:

क्र.सं.	जिला	प्रशिक्षित उम्मीदवार
1.	बेलगावी	217
2.	बेंगलुरु ग्रामीण	783
3.	बेंगलुरु शहरी	1,648
4.	बीदर	2,273
5.	चिक्कबल्लपुर	151
6.	चिक्कामगलुरु	533
7.	चित्रदुर्ग	138
8.	दावणगेरे	145
9.	धारवाड़	10
10.	गडग	181
11.	हसन	503
12.	हावेरी	638
13.	कलबुर्गी	1,275
14.	कोडागू	14
15.	कोलार	281
16.	कोप्पल	30
17.	रामानगर	90
18.	शिवमोगा	194
19.	तुमकुरु	645
20.	उडुपी	380
21.	यादगीर	320
योग		**10,449**

*****